

डिप्टी बमुकदमें ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-291/2018

1. पप्पूराम पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी माणक टिब्बी तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार } निवासी माणक टिब्बी तहसील टिब्बी।
2. बाबूराम पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार }
3. पुष्पा पत्नी राधेश्याम पुत्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी चकां तहसील रागियां
जिला सिरसा।
4. सन्तोष पत्नी ओंकार पुत्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला तहसील व
जिला श्रीगंगानगर।
5. रानी पत्नी कमल पुत्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी लोहा तहसील रतनगढ
जिला चुरू।
6. उपपंजीयक टिब्बी।
7. शाखा प्रबन्धक एस.वी.आई संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रतन लाल शर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिप्टी दी जाती है कि वादी पप्पूराम को चक नं0 2 सीडीआर के प0न0 235/216 मु0 1 किला नं0 16/.139, 17 व 24 कुल 0.645 है0 नहरी कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं0 2 बाबूराम को चक 2 सीडीआर के प0न0 235/216 मु0 1 किला नं0 6,7,14,15,16/. 114 कुल 1.126 है0 नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 2 सीडीआर के खाता सं0 92/71 में से सोहनलाल प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा यथावत रखे तथा चक नं. 5 केएचआर की कुल .888 है. नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से यथावत रखे जाने के आदेश दिये है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....बावत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक 1.5.18.18.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1.5.18.18.....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी